प्रेस नोट दिनांक 05.08.2026

थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना कुण्डा के उ0नि0 मनोज राय मय हमराह हे0का0 शिशुपाल सिंह व रि0का0 पंकज भारती द्वारा देखभाल क्षेत्र/ चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन, तलाश वांछित, वारंटी दौरान मु0अ0सं0-291/2020 धारा - 307/323/0504/506 भादवि सम्बन्धित माननयी न्यायालय एडी-डिजज कोर्ट नं0-1 प्रतापगढ से सम्बन्धित 01 अभियुक्त योगेश कुमार यादव पुत्र रामसूरत यादव निवासी ग्राम शहाबपुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र लगभग 25 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. योगेश कुमार यादव पुत्र रामसूरत यादव निवासी ग्राम शहाबपुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र लगभग 25 वर्ष ।

पुलिस टीम-
उ0नि0 मनोज राय मय हमराह हे0का0 शिशुपाल सिंह व रि0का0 पंकज भारती थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़

थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना लालगंज के उ0नि0 ज्ञान चन्द्र तिवारी मय हमराह रि0का0 पवन कुमार पीआरडी ललित कुमार, होगा चन्द्रभान मय चालक मय रि0का0 विकास सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन, तलाश वांछित, वारंटी दौरान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रट लालगंज प्रतापगढ से सम्बन्धित एनबीडब्लू 82 सीआरपीसी परिवाद सं0 677/25 धारा 138 एनआई एक्ट थाना लालगंज प्रतापगढ से सम्बन्धित 01 अभियुक्त शैलेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र राकेश बहादुर सिंह नि0 वार्ड न0 16 हरकरन पट्टी थाना लालगंज प्रतापगढ़ उम्र 35 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. शैलेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र राकेश बहादुर सिंह नि0 वार्ड न0 16 हरकरन पट्टी थाना लालगंज प्रतापगढ़ उम्र 35 वर्ष ।

पुलिस टीम-
उ0नि0 ज्ञान चन्द्र तिवारी मय हमराह रि0का0 पवन कुमार पीआरडी ललित कुमार, होगा चन्द्रभान मय चालक मय रि0का0 विकास सिंह थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना उदयपुर पुलिस द्वारा जानलेवा हमला व मारपीट के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना उदयपुर पुलिस की प्रभावी कार्यवाही, जानलेवा हमला एवं मारपीट के अभियोग में नामजद 01 अभियुक्त बलराम सिंह गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त का विवरण-
वादी निवासी ग्राम आहर बीहर, पोस्ट अठेहा, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़ के अनुसार दिनांक 03.04.2026 को सरहद की भूमि पर दीवार निर्माण को लेकर हुए विवाद के दौरान नामजद आरोपियों द्वारा एकराय होकर लाठी-डंडा, कुल्हाड़ी एवं फावड़ा आदि से वादी एवं उसके भाई पर जानलेवा हमला कर मारपीट की गई, जिससे दोनों को सिर एवं शरीर पर गंभीर चोटें आई। शोर-शराबा सुनकर ग्रामीणों के मौके पर पहुंचने पर आरोपीगण जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना उदयपुर पर मु0अ0सं0 61/2026 धारा 191(2)/191 (3)/115 (2)/352/351 (3) 1131/109(1) बीएनएस बनाम 08 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी उदयपुर श्री दीप नारायण के नेतृत्व में उ0नि0 अमित द्विवेदी मय हमराह का0 जीयन कुमार व का0 विधिचन्द्र द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 61/2026 धारा 191(2)/191 (3)/115 (2)/352/351 (3) 1131/109(1) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त बलराम सिंह पुत्र बैजनाथ सिंह निवासी ग्राम आहड़ बीहड़ थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 42 वर्ष थाना उदयपुर क्षेत्रान्तर्गत अगई को जाने वाले मार्ग में रामपुर कसिंहा पुल के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. बलराम सिंह पुत्र बैजनाथ सिंह निवासी ग्राम आहड़ बीहड़ थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 42 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 अमित द्विवेदी मय हमराह का0 जीयन कुमार व का0 विधिचन्द्र थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा 08 अदद देशी सुतली बम के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए 02 अभियुक्तों को 08 अदद देशी सुतली बम के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामद विस्फोटक सामग्री को मौके पर ही सुरक्षा की दृष्टि से पानी में डालकर निष्क्रिय किया गया तथा नियमानुसार सुरक्षित निस्तारित किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री शिवनारायण वैस के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी नवाबगंज श्री संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 राजनारायण सिंह मय हमराह उ0नि0 अकील अहमद, रि0का0 रजनीश प्रजापति, रि0का0 कृष्ण कुमार व चालक हे0का0 इन्द्रजीत द्वारा क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं अपराधियों की तलाश के दौरान थाना नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत नान्हू का पुरवा नहर पुलिया, परियावां के पास से 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से 08 अदद देशी सुतली बम बरामद हुए, जिसके संबंध में थाना नवाबगंज पर मु0अ0सं0 121/2026, धारा 4/5 विस्फोटक अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों को उनके विरुद्ध दर्ज अपराध से अवगत कराते हुए नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बरामद देशी सुतली बमों को जनसुरक्षा के दृष्टिगत मौके पर ही पानी में डालकर निष्क्रिय किया गया तथा नियमानुसार सुरक्षित निस्तारित किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1. सलमान अहमद पुत्र जसीम अहमद, उम्र करीब 22 वर्ष, निवासी ग्राम मुरस्सापुर, थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़।

2. सोनू उर्फ विख्यात साहू पुत्र रामकिशन साहू, उम्र करीब 20 वर्ष, निवासी ग्राम इब्राहिमपुर, थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-
08 अदद देशी सुतली बम।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 राजनारायण सिंह, उ0नि0 अकील अहमद, रि0का0 रजनीश प्रजापति, रि0का0 कृष्ण कुमार तथा चालक हे0का0 इन्द्रजीत, थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा 01 किलो 184 ग्राम अवैध गांजा एवं बिक्री के 370 रुपये के साथ 01 अभियुक्त दिनेश सिंह गिरफ्तार

थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत करील वृक्ष के पास सई नदी पुल, ग्राम कुम्भापुर से गिरफ्तार किया गया।

जनपद प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में "ऑपरेशन प्रहार" प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त तत्वों के विरुद्ध सतत एवं कठोर कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी सांगीपुर के नेतृत्व में उ0नि0 अतुल तिवारी मय हमराह कां0 विष्णु शर्मा, का0 बौद्ध प्रकाश, रि0का0 आलोक यादव एवं रि0का0 प्रिंस देवानन्द द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त दिनेश सिंह पुत्र समर बहादुर सिंह निवासी ग्राम डभियार थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 53 वर्ष को करील वृक्ष के पास सई नदी पुल, ग्राम कुम्भापुर से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से 01 किलो 184 ग्राम अवैध गांजा एवं गांजा बिक्री के 370 रुपये बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर थाना सांगीपुर में मु0अ0सं0 185/2026, धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-
पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि मेरे हाथ में जो झोला है इसमें अवैध गांजा है इसलिए मैं भाग रहा था। गांजा को पुड़िया बना बना कर बेंचता हूं। मेरा लडका रवि सिंह मुझे गांजा ले आकर देता है जिसे मै पुडिया बनाकर बेच कर रुपये रवि को देता हूं तथा इसी से हम लोग अपनी जरुरते पूरी करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. दिनेश सिंह पुत्र समर बहादुर सिंह निवासी ग्राम डभियार थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 53 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-
अभियुक्त दिनेश सिंह पुत्र समर बहादुर सिंह निवासी ग्राम डभियार थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 53 वर्ष का आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0 209/1997, धारा 308/324/325 भादवि तथा 3(1)(x) एससी/एसटी एक्ट, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0 325/2023, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0 185/2026, धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट, थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-
* 01 किलो 184 ग्राम अवैध गांजा।
* गांजा बिक्री के 370 रुपये।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 अतुल तिवारी मय हमराह कां0 विष्णु शर्मा, का0 बौद्ध प्रकाश, रि0का0 आलोक यादव एवं रि0का0 प्रिंस देवानन्द, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।

बयान-
जनपद प्रतापगढ़ में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री एवं प्रसार की रोकथाम हेतु प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा निरंतर विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनपद को नशामुक्त वातावरण प्रदान करना तथा समाज, विशेषकर युवाओं, को इस गंभीर बुराई से सुरक्षित रखना है।

आमजन से अपील है कि यदि कहीं भी अवैध रूप से मादक पदार्थों का निर्माण, क्रय-विक्रय अथवा तस्करी होती दिखाई दे, तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नम्बर 6307363107 पर दें। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत गैर जमानती वारंट के अनुपालन में 03 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री आलोक कुमार भाटी एवं क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी रानीगंज के निर्देशन में उ0नि0 अंकित श्रीवास्तव मय हमराह का0 सौरभ यादव, रि0म0का0 अंजू यादव एवं रि0म0का0 करिश्मा यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन, शांति व्यवस्था ड्यूटी एवं वारंटी अभियुक्तों की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर न्यायालय एससी/एसटी स्पेशल कोर्ट, प्रतापगढ़ से निर्गत सेशन ट्रायल सं0 396/2019, राज्य बनाम घनश्याम विश्वकर्मा, मु0अ0सं0 44/2019, धारा 147, 323, 504, 506, 427 भादवि एवं 3(1)(ध) एससी/एसटी एक्ट से संबंधित 03 वारंटी अभियुक्तों को ग्राम भागीपुर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का विवरण-
1-घनश्याम विश्वकर्मा पुत्र संगमलाल विश्वकर्मा, उम्र करीब 40 वर्ष, निवासी ग्राम भागीपुर, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।
2-अनुराधा देवी पत्नी घनश्याम विश्वकर्मा, उम्र करीब 32 वर्ष, निवासी ग्राम भागीपुर, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।
3-सोनी देवी पत्नी तीरथराज विश्वकर्मा, उम्र करीब 32 वर्ष, निवासी ग्राम भागीपुर, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 अंकित श्रीवास्तव, का0 सौरभ यादव, रि0म0का0 अंजू यादव एवं रि0म0का0 करिश्मा यादव, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

साइबर थाना, जनपद प्रतापगढ़

साइबर थाना प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा साइबर धोखाधड़ी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का सदस्य सुभाष तांती गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में साइबर थाना पुलिस को बड़ी सफलता, साइबर ठगी के मामले में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

साइबर थाना प्रतापगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 48/2025 धारा 318(4), 319(2), 338, 336(3), 340(2), 112(2) बीएनएस एवं 66(C)/66(D) आईटी एक्ट की विवेचना के दौरान धारा 35(1) बीएनएसएस की नोटिस के अनुपालन में अभियुक्त सुभाष तांती थाना साइबर पर उपस्थित हुआ। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा पीएनबी खाते की केवाईसी अपडेट कराने के नाम पर पीड़ित के मोबाइल पर APK फाइल भेजकर मोबाइल हैक करने तथा उसके खाते से लगभग ₹6.52 लाख की साइबर धोखाधड़ी करना स्वीकार किया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में साइबर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्यवेक्षण में साइबर थाना पुलिस निरीक्षक श्री राजेंद्र प्रसाद यादव, का0 प्रवीन कुमार सिंह, का0 हर्षदीप सिंह द्वारा मु0अ0सं0 48/2025 धारा 318(4), 319(2), 338, 336(3), 340(2), 112(2) बीएनएस एवं 66(C)/66(D) आईटी एक्ट से संबंधित 01अभियुक्त सुभाष तांती पुत्र मसूदन तांती, निवासी वार्ड नं० 02, मधुरापुर, मथुरापुर, थाना शिवनारायणपुर, जिला भागलपुर (बिहार), उम्र करीब 44 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ के आधार पर यह प्रकाश में आया कि अभियुक्त अपने साथियों के साथ मिलकर बैंक केवाईसी अपडेट कराने के नाम पर APK फाइल भेजकर मोबाइल हैक करता था तथा बैंक खातों से धोखाधड़ी कर धनराशि विभिन्न खातों में स्थानांतरित कर निकाल लेता था। गिरोह द्वारा फर्जी मोबाइल नंबरों एवं बैंक खातों का उपयोग कर साइबर अपराध किए जाते थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. सुभाष तांती पुत्र मसूदन तांती, निवासी वार्ड नं० 02, मधुरापुर, मथुरापुर, थाना शिवनारायणपुर, जिला भागलपुर, बिहार, उम्र करीब 44 वर्ष।

पुलिस टीम-

निरीक्षक श्री राजेंद्र प्रसाद यादव, का0 प्रवीन कुमार सिंह, का0 हर्षदीप सिंह साइबर थाना प्रतापगढ़